रजिस्टर्ड नं० पी०/एच० एच० 12.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 जुलाई, 1986/8 श्रावण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग (अनुवाद कक्ष)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

सं० डी० एल० आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन/7/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पशन आफ मैम्बर्ज) ऐक्ट, 1971 के अधिप्रमाणित हिन्दी

1812-राजपत्र/86-30-7-86—1,182. (1255) मूल्य : 20 पैसे ।

रूपान्तर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 8)

(15 अक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(23 अप्रैल, 1971)

हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों के भत्तों और पेन्शन का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 है।

(2) यह 25 जनवरी, 1971 से प्रवृत्त समझा जाएगा किन्तु धारा 4-क, 1 जुलाई, 1963 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "सभा" से हिमाचल प्रदेश की विधान सभा अभिप्रेत है;
(ख) "समिति" से सभा की कोई प्रवर समिति या समिति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार के कार्य से सम्बद्ध प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई समिति भी है ;
(ग) "सदस्य" से मंत्री, उप-मंत्री, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से भिन्न सभा का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;
(घ) "अधिवेशन" से सभा का या उसकी किसी समिति का अधिवेशन अभिप्रेत है ;
(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
(च) "अध्यक्ष" से सभा का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और
(छ) "क्षेत्रीय परिषद्" से वह परिषद् अभिप्रेत है जो 1957 से 1963 तक हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के अभाव में विद्यमान थी।

प्रतिकरात्मक भत्ता।

3. (1) इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से या उसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से या यदि ऐसी घोषणा रिक्ति होने से पहले की गई हो, तो रिक्ति होने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी बाद में हो, प्रति मास पांच सौ रुपये की दर से प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

1951 का 43

(2) X X X X
(3) X X X X

(4) इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को किसी ऐसी अवधि के, बारे में, जिसके दौरान वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिक निरोध में था, कोई प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस प्रयोजन के लिए विधिक निरोध के अन्तर्गत किसी निवारक निरोध से संबंधित विधि के अधीन निरोध नहीं है।

अन्य भत्ते। 4. (1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित की जाएं, प्रत्येक सदस्य को संदत्त किया जाएगा :—

(i) ऐसा यात्रा भत्ता जो विहित किया जाए;

(ii) सभा या समिति के अधिवेशन में उपस्थित रहने में प्रत्येक दिन के लिए या अध्यक्ष के आदेशाधीन सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर किसी अन्य काम-काज के लिए की गई यात्राओं के बारे में प्रतिदिन इक्यावन रुपये की दर से विराम भत्ता :

परन्तु यदि किसी सदस्य को तत्समय प्रवृत्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अधीन सभा के अधिवेशन या अधिवेशनों से अनुपस्थित रहने के लिए आदेश किया गया है, तो वह अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए ऐसा भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि सदस्य;—

(क) जहां वह सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक या दो दिन पूर्व पहुंचता है, या ऐसे अधिवेशन के स्थान से, उस तारीख से, जिसको सभा अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी जाती है, ठीक एक या दो दिन पश्चात् प्रस्थान करता है वहां, यथास्थिति, पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक या दो दिन के लिए; और

(ख) जहां वह किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक दिन पूर्व पहुंचता है, या ऐसे अधिवेशन के स्थान से ऐसे अधिवेशन की समाप्ति से ठीक एक दिन पश्चात् प्रस्थान करता है, वहां पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक दिन के लिए ;

विराम भत्ते का हकदार भी होगा,

(iii) जब कोई सदस्य अपने निवास के प्रायिक स्थान से अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए प्रस्थान करता है और अधिवेशन के पश्चात् वहां वापस लौटता है, तब सदस्य के निवास के प्रायिक स्थान से प्रस्थान के दिन के लिए पांच रुपये की दर से आनुषंगिक भत्ता और प्रायिक स्थान पर पहुंचने के दिन के लिए पांच रुपये की दर से आनुषंगिक भत्ते का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण (1) सदस्य को ऐसे पहुंचने या ऐसे प्रस्थान के प्रत्येक दिन के लिए विराम-भत्ता अनुज्ञेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो ।

स्पष्टीकरण (2) सभा या समिति के दो आनुक्रमिक अधिवेशनों के बीच चार दिन से कम का विराम, ऐसे सदस्य के लिए जो ऐसे विराम के दौरान ऐसे अधिवेशन के स्थान से प्रस्थान नहीं करता है, उपस्थिति का दिन या के दिन समझे जाएंगे :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सदस्य को यात्रा भत्ते या विराम भत्ते का हकदार नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति उस स्थान से, जिस पर उसकी उपस्थिति ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित है, पांच मील के भीतर किसी स्थान पर सामान्यतः निवास या कारबार करता है।

(2) जो सदस्य प्रतिदिन इक्यावन रुपये की दर से विराम-भत्ता, जैसा कि उप धारा (1) में उपबन्धित है, नहीं लेना चाहता है, वह 25 जनवरी, 1971 से वर्तमान सभा के विघटन तक कर्तव्य पर निवास की किसी अवधि के लिए प्रतिदिन पच्चीस रुपये की दर से भत्ते का हकदार होगा और ऐसी दशा में उप-धारा (1) के खण्ड (ii) और (iii) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण (1)—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए "कर्तव्य पर निवास की अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई सदस्य ऐसे स्थान पर जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य काम-काज किया जाता है ऐसे अधिवेशन या बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या ऐसा अन्य काम-काज करने के प्रयोजन के लिए निवास करता है, और इसके अन्तर्गत है उस सदस्य के मामले के सिवाय जो ऐसे स्थान पर निवास करता है जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां उस रूप में उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य काम-काज किया जाता है:—

(i) सभा के अधिवेशन की दशा में, अधिवेशन के प्रारम्भ से ठीक पूर्व तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और उस तारीख से, जिसको सभा को अनिश्चितकाल के लिए या सात दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगित किया जाता है, ठीक उत्तरवर्ती तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि, और

(ii) समिति की बैठक या किसी अन्य काम-काज की दशा में समिति के काम-काज या अन्य काम-काज के प्रारम्भ से ठीक पूर्व दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और समिति के काम-काज या अन्य काम-काज के समाप्त होने से ठीक पश्चात् दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि ।

स्पष्टीकरण (2)—सदस्य को कर्त्तव्य पर निवास के लिए प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो ।

4-क (1) प्रत्येक सदस्य को सभा के अधिवेशन में या समिति की बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य काम-काज करने के प्रयोजन के लिए, उसके निवास के प्रायिक स्थान से उस स्थान तक जहां अधिवेशन या बैठक होनी है या अन्य काम-काज किया जाना है, सड़क द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा की बाबत और ऐसे स्थान से उसके निवास के प्रायिक स्थान तक वापसी यात्रा के लिए, जुलाई, 1963 के प्रथम दिन से जनवरी, 1971 के चौबीसवें दिन तक पचपन पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता संदत्त किया जाएगा । 1 जुलाई, 1963 से 24 जनवरी, 1971 तक यात्रा भत्ते का नियमितिकरण ।

(2) कोई भी सदस्य उप-धारा (1) में उल्लिखित अवधि की बाबत बकाया का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

4-ख प्रत्येक सदस्य को पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र, सचिवीय और डाक-सुविधा भत्ता भी दिया जाएगा । निर्वाचन क्षेत्र, सचिवीय और डाक सुविधा भत्ता ।

मोटर कार के क्रय के लिए सदस्यों को उधार दिया जाना।

4-ग प्रत्येक सदस्य को मोटर कार का क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी जिससे कि वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का सुविधापूर्वक और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

गृह निर्माण अग्रिम।

4-घ सदस्य को गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में ऐसी राशि और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, संदत्त की जा सकेगी।

सुख सुविधाएं।

5. (1) सदस्य, सभा की बैठक के स्थान पर, रियायती दरों पर ऐसे निवास स्थान का हकदार होगा जो धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक सदस्य एक टेलीफोन अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या अपने स्थायी निवास के स्थान पर, यदि ऐसे स्थान पर ऐसी सुविधा साधारण दरों पर और कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना उपलब्ध है, या शिमला में, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संस्थापित कराने का हकदार होगा और संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टेलीफोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार और प्रतिभूति-निक्षेप और वार्षिक किराया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अन्य सभी व्यय, वे जो कि स्थानीय या बाह्य कालों से संबंधित हैं, सदस्य द्वारा संदत्त किए जाएंगे :

परन्तु ऐसे सदस्यों को, जो इस उप-धारा के अधीन टेलीफोन संस्थापित कराएगा प्रतिमास चार सौ रुपये की दर से टेलीफोन भत्ता भी संदत्त किया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई सदस्य उसके निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी स्थान पर या उसके स्थाई निवास स्थान पर या शिमला में टेलीफोन संस्थापित नहीं करता है, तो उसे प्रतिमास एक सौ पचास रुपये की दर से टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा।

रेलवे द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा निःशुल्क यात्रा।

6. (1) प्रत्येक सदस्य को—

(क) कूपन पुस्तकें प्रदान की जाएंगी जो उसे और उसकी पत्नी या पति को या उसकी देखभाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय भारत में किसी रेल द्वारा भारत सरकार के रेल मन्त्रालय (रेलबोर्ड) द्वारा जारी किए गए चालू सवारी डिब्बा टैरिफ के अनुसार प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार बनाएगा, परन्तु ऐसी यात्रा की कुल दूरी किसी वित्तीय वर्ष में बीस हजार किलोमीटर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु सदस्य और उसकी पत्नी या पति या उसकी देख-भाल या उसके साथ सहायता के लिए यात्रा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उन कूपनों पर जिनके लिए वह हकदार है, वातानुकूलित रेल सवारी डिब्बे में यात्रा कर सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि उसके द्वारा यात्रा वायु मार्ग द्वारा की जाती है, तो उसे ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के एक टिकट के किराये के बराबर रकम संदत्त की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि किसी वित्तीय वर्ष में वह वायु मार्ग द्वारा दो से अधिक वापसी यात्रा करने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कूपन पर या वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में पहले दर्जे के रेल टिकट से बीस हजार किलोमीटर के लिए संदेय रकम से अधिक नहीं होगी ।

1971 का 3
1971 का 4
1971 का 5

स्पष्टीकरण (क)—इस धारा के अधीन कुल दूरी को अवधारण करने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 5क, या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10क, या उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 6-क के अधीन रेल या वायु मार्ग द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में की गई यात्रा की दूरी को हिसाब में लिया जाएगा; और

(ख) दो निःशुल्क अनन्तरणीय पास प्रदान किए जाएंगे जो उसको और उसकी पत्नी या उसकी देख-भाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के किसी लोक सेवा यान में किराया और उस पर के यात्री कर का संदाय किए बिना यात्रा करने का हकदार बनाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सदस्य को जारी की गई कूपन पुस्तकें और निःशुल्क पास उसकी पदावधि के लिए विधिमान्य होंगे और ऐसी अवधि के अवसान पर वे उस के द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को अभ्यर्पित कर दिए जाएंगे ।

(3) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कोई सदस्य किसी ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार न रहे जिसका वह अन्यथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन हकदार है ।

प्रतिकरात्मक, निर्वाचन-क्षेत्रीय, सचिवीय, डाक सुविधाओं और टेलीफोन भत्तों और अन्य परिलब्धियों का आय कर से अपवर्जित होना।

6-क.—इस अधिनियम के अधीन सदस्य को संदेय प्रतिकरात्मक, निर्वाचन क्षेत्रीय, सचिवीय, डाक सुविधाएं और टेलीफोन भत्ता और उसे अनुज्ञेय अन्य परिलब्धियां आय-कर से अपवर्जित होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण:—राज्य द्वारा संदेय आय-कर की रकम आय-कर के लिए निर्धारित आय की प्रथम स्लैब होगी, अर्थात् इस रकम के निर्धारण में संबंधित सदस्य की आय के अन्य स्रोतों को गिनती में नहीं लिया जाएगा ।

पेन्शन ।

6-ख.—(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने—

(क) विधान सभा के सदस्य; या

(ख) क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य, या

(ग) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य, या

(घ) (i) पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के तत्कालीन राज्य की विधान सभा; या

(ii) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा, या

(iii) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान परिषद्; या

(iv) भागतः एक और भागतः दूसरी के सदस्य

जिन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए पूर्ण क्षेत्र या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है, या 1966 का 31

(ङ) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः यथास्थिति, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य क्षेत्र के तत्कालीन राज्य या तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में पांच वर्ष से अन्यून अवधि तक, चाहे निरंतर या नहीं, सेवा की है प्रति मास तीन सौ रुपये पेंशन संदत्त की जाएगी :

परन्तु—

(i) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य जहां राज्य में साधारण निर्वाचन के लिए नियत दिन के किसी उत्तरवर्ती दिन को निर्वाचन किया जाता है या किया गया है या ऐसा नामनिर्देशन किया गया है, या

(ii) ऐसा सदस्य जो शपथ लेने के प्रयोजन के लिए नियत दिन को शपथ लेने में अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण असफल रहता है; या

(iii) संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1983 की धारा 5 के अधीन गठित या गठित समझी जाने वाली सभा के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य; या 1963 का 20

(iv) भाग-1 राज्य शासन अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अधीन गठित सभा के सदस्य; या 1951 का 49

(v) राज्य क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन चुने गए या नाम-निर्देशित हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य; या 1956 का 3

(vi) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्य जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे सदस्य नहीं रह गए हैं और जिनका उस अवधि के दौरान, जिन में उन्होंने उक्त परिषद् के सदस्य के रूप में सेवा की है हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिवास था; या 1966 का 31

(vii) ऐसे सदस्य जिन्होंने, यथास्थिति, विधान सभा, विधान परिषद् या राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में पूर्ण अवधि तक सेवा की है किन्तु अवधि पांच वर्ष से अधिकाधिक तीन मास कम होती है, इस तथ्य के होते हुए भी कि उन्होंने ऐसे सदस्य के रूप में पांच वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं की है, उप-धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने के हकदार होंगे :

परन्तु यह और कि जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक अवधि तक उपर्युक्त रूप से सेवा की है, वहां उसे पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रतिमास पच्चास रुपये की अतिरिक्त पैन्शन संदत्त की जाएगी, किन्तु ऐसे व्यक्ति को संदेय पैन्शन किसी भी दशा से प्रतिमास पांच सौ रुपय से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन पेन्शन का हकदार कोई व्यक्ति—

(i) राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है ; या

(ii) राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का 19 1966 की धारा (3) के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य बन जाता है; या

(iii) वेतन पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम में या स्थानीय प्राधीकरण में नियोजित है या राज्य सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से अन्यथा कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार हो जाता है ;

तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए जिसके दौरान वह ऐसा पद धारण किए रहता है या ऐसा सदस्य बना रहता है, या ऐसे नियोजित है या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उप-धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद धारण करने या ऐसा सदस्य रहने या ऐसे नियोजित रहने के लिए संदेय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को संदेय खण्ड (iii) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक किसी भी दशा में उप-धारा (1) के अधीन उस संदेय पेन्शन से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उप-धारा के अधीन पेन्शन के रूप में केवल अतिशेष को प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकरण से भी किसी विधि के अधीन या अन्यथा कोई पेन्शन पाने का हकदार है, तो—

(क) जहां ऐसी पेन्शन की रकम जिसके लिए वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, उसके बराबर या उससे अधिक है जिसके लिए वह उप-धारा (1) के अधीन हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उप-धारा के अधीन कोई पेन्शन पाने का हकदार नहीं होगा, और

(ख) जहां ऐसी पेन्शन की रकम जिसके लिए वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है उससे कम है जिसके लिए वह उप-धारा (1) के अधीन हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति उस उप-धारा के अधीन पेन्शन की केवल उतनी रकम के लिए हकदार होगा जो उस पेन्शन की रकम से कम है जिसके लिए वह उक्त उप-धारा के अधीन अन्यथा हकदार है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन स्कीम और या स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेन्शन स्कीम के अधीन संदेय पेन्शन को इस अधिनियम के अधीन संदेय पेन्शन की रकम के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।

(4) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या की संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने मंत्रियों के वेतन और 1971 का 3 भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 में यथा परिभाषित मन्त्री के रूप में या विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संघ राज्यक्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है ।

भूतपूर्व सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं।

6-ग. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो धारा 6-ख के उपबन्धों के अधीन पेन्शन का हकदार है अपने लिए और अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए ऐसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए हकदार होगा जैसी समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार के सेवानिवृत वर्ग-1 के अधिकारियों को अनुज्ञेय है :

परन्तु कोई व्यक्ति जो धारा 6-ख की उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के फलस्वरूप या इस लिए कि उसने पांच वर्ष से कम अवधि तक सेवा की है, इस धारा के अधीन पेन्शन का हकदार नहीं है, उपर्युक्त चिकित्सा सुविधाओं के लिए हकदार होगा।

सरकारी देयों की प्रतिकरात्मक भत्ते या पेन्शन से वसूली।

6-घ. (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के अधीन प्रतिकरात्मक भत्ता अनुज्ञेय है अपनी विद्यमान पदावधि से पूर्व किसी अवधि के दौरान सदस्य रह चुका है और उसने ऐसी पूर्व अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसे मन्त्री, अध्यक्ष, उप-मंत्री, उपाध्यक्ष, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव या सदस्य की हैसियत में दिए गए किसी अग्रिम, किसी निवास-स्थान या किसी भी प्रकार की किसी अन्य सुविधा मद्धे उसके द्वारा राज्य सरकार को संदेय किसी रकम का संदाय नहीं किया है, तो उससे शोध्य ऊपर निर्दिष्ट रकम उसके प्रतिकरात्मक भत्ते में से वसूल की जा सकेगी।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने, जिसको इस अधिनियम के अधीन पेन्शन अनुज्ञेय है राज्य सरकार द्वारा उसे उसकी मन्त्री, अध्यक्ष, उप-मन्त्री, उपाध्यक्ष, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव या सदस्य की हैसियत में दिए गए किसी अग्रिम, किसी निवास-स्थान या किसी भी प्रकार की किसी अन्य सुविधा मद्धे उसके द्वारा राज्य सरकार को संदेय किसी रकम का संदाय नहीं किया है तो उससे शोध्य ऊपर निर्दिष्ट रकम उसकी पेन्शन में से वसूल की जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

7. (1) अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यन्वयन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यक्ष निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में नियम बना सकेगा, अर्थात्:—

(क) कोई विषय, जिसका विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है ;
(ख) वह दर, जिस पर और वे परिस्थितियां जिनके अधीन यात्रा और विराम भत्ते लिये जा सकते हैं और वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसे भत्ते विधारित किए जा सकेंगे ;
(ग) वह रीति, जिसमें यात्रा भत्ते के प्रयोजनों के लिए किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी संगठित की जानी चाहिए ;
(घ) लघुत्तम उपलभ्य मार्ग जिसके द्वारा यात्रा की जा सकती है ;
(ङ) वह प्ररूप जिसमें दावे प्रस्तुत किए जा सकेंगे, दावों के संपरीक्षण की रीति और वे प्राधिकारी, जिनके द्वारा और वह रीति जिसमें ऐसे दावे प्रमाणित और संदत्त किए जा सकेंगे ;
(च) धारा 5 में वर्णित सदस्यों के निवास स्थान की व्यवस्था ; और
(छ) उपर्युक्त विषयों से सम्बन्धित या उनके अनुषंगिक कोई अन्य विषय।

(3) जब तक ऐसे नियम प्रवृत नहीं हो जाते, ऐसे ब्योरे के सभी विषय जो इस अधिनियम में नहीं हैं, सदस्यों को भत्ते के संदाय के लिए अब तक

1963 का 4

प्रवृत्त नियमों द्वारा वहां तक शासित होंगे जहां तक वे लागू हैं और विधान सभा सदस्य वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 में अन्तर्विष्ट है और वहां जहां वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हैं।

निर्वाचन।

8. यदि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के निर्वाचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

निरसन और व्यावृत्ति।

1963 का 4
1971 का 3

9. (1) विधान सभा सदस्य वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1963 और विधान सभा सदस्य वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अध्यादेश, 1971 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम और अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई या की गई तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाए गए या जारी किए गए कोई नियम, अधिसूचनाएं या आदेश भी है) इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

सं० डी० एल० आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन/8/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश स्टेट लैजिस्लेचर प्रोसीडिन्ज (प्रोटैक्शन आफ पब्लिकेशन) ऐक्ट, 1977 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा कार्यवाही

(प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977

(1978 का अधिनियम संख्यांक 3)

(15 अक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(7 फरवरी, 1978)

हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन के संरक्षण के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अठाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषा ।

2. इस अधिनियम में "समाचार-पत्र" से ऐसी कोई मुद्रित कालिक कृति अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार की समीक्षा हो और इसके अन्तर्गत किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री का प्रदाय करने वाली समाचार एजेंसी भी है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रकाशन का विशेषाधिकार ।

3. (1) उप-धारा (2) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा की कार्यवाहियों की सारतः सही रिपोर्ट के किसी समाचार में प्रकाशन के संबन्ध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दांडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि प्रकाशन दुर्भाव से किया गया है ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी किसी बात के प्रकाशन को संरक्षण देती है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए नहीं है ।

अधिनियम का हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा की कार्यवाहियों के बेतार तार-यांत्रिकी द्वारा प्रसारण को भी लागू होना ।

4. यह अधिनियम किसी प्रसारण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भाग के रूप में बेतार तार-यांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्ट या सामग्री के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट या सामग्री के सम्बन्ध में लागू होता है।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

सं0 डी0 एल0 आर0-अनुवाद अधिप्रमाणन-9/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश डिपार्टमैन्टल इनक्वायरीज (पावर्ज) ऐक्ट, 1973 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश विभागीय जांच (शक्तियां) अधिनियम, 1973

(1973 का अधिनियम संख्यांक 25)

(15 अक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(12 दिसम्बर, 1973)

विभागीय जांच में साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज पेश कराने का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विभागीय जांच (शक्तियां) अधिनियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषा ।

2. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "विभागीय जांच" से ऐसी जांच अभिप्रेत है, जो—

(i) किसी विधि या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के; या

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी किए गए किसी नियम के, अधीन और अनुसार की जाए ।

साक्षियों को समन करना और दस्तावेजें पेश कराना ।

3. हिमाचल प्रदेश में विभागीय जांच के प्रयोजनों के लिए, ऐसी जांच करने वाला अधिकारी, साक्षियों को समन करने और दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने के लिए वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा जो लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन किसी जांच के लिए नियुक्त आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाती हैं, और ऐसे अधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी की गई किसी आदेशिका को अवज्ञा करने वाले सभी व्यक्ति वैसी ही शास्ति के लिए दायी होंगे मानों कि वह न्यायालय द्वारा जारी की गई हो ।

1850 का 37

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. पंजाब विभागीय जांच (शक्तियां) अधिनियम, 1955 का, जैसा कि वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में प्रवृत्त है, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

1966 का 31

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

सं0 डी0 एल0 आर0-अनुवाद अधिप्रमाणन-10/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश ऐबोलीशन आफ टैक्स मुतरफा ऐक्ट, 1966 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश कर मुतरफा का उन्मूलन अधिनियम, 1966

(1966 का अधिनियम संख्यांक 6)

(20 अक्तूबर, 1984 को यथा विद्यमान)

(2 अप्रैल, 1966)

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कर मुतरफा का उन्मूलन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर मुतरफा का उन्मूलन अधिनियम, 1966 है ।

परिभाषा। 2. इस अधिनियम में अभिव्यक्ति "कर मुतरफा" से अभिप्रेत है ऐसा कर, चाहे उसका जो भी नाम हो, जो तत्कालीन बिलासपुर राज्य के दरबार द्वारा बनाए गए नियम दिनांक 20 भादों सम्वत् 1998 के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में विभिन्न व्यापारियों और व्यवसायियों से प्रति वर्ष विभिन्न दरों पर वसूल किया जाता है ।

कर मुतरफा का उन्मूलन। 3. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से कर मुतरफा का उन्मूलन किया जाता है ।

निरसन 4. धारा 2 में यथा वर्णित नियम, दिनांक 20 भादों, सम्वत् 1998 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु यह निरसन, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व, एतद्द्वारा निरसित नियमों के अधीन की गई किसी कार्रवाई या अधिरोपित और वसूल किए गए कर मुतरफा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा ।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

सं० डी०एल०आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन/11/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश एसैनशियल सर्विसिज (मैण्टेनैन्स) ऐक्ट, 1973 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते हैं और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972

(1973 का अधिनियम संख्यांक 5)

(31 दिसम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(9 मार्च, 1973)

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात, विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "नियोजन" के अन्तर्गत है किसी भी प्रकार का नियोजन, चाहे उसके लिए संदाय किया जाता है या नहीं ;

(ख) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

नियोजन, जिसको यह अधिनियम लागू होता है।

3. यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा :—

(i) राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन या नियोजन का वर्ग जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और

(ii) कोई ऐसा अन्य नियोजन या नियोजन का वर्ग जिसे राज्य सरकार, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा नियोजन या नियोजन का वर्ग लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य या स्वच्छता को बनाए रखने, या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय या सेवाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा नियोजन या नियोजन का वर्ग घोषित करे जिसको यह अधिनियम लागू होता है।

किसी नियोजन में लगे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में बने रहने का आदेश देने की शक्ति।

4. (1) सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी ऐसे नियोजन या नियोजन के वर्ग के सम्बन्ध में, जिसको धारा 3 लागू होती है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश कर सकेगा कि ऐसे नियोजन में लगा या लगे व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से बाहर नहीं जाएंगे, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश, ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा जैसी सरकार या आदेश देने वाला अधिकारी उसे उस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी में लाने के लिए उचित समझे।

अपराध।

5. (1) किसी ऐसे नियोजन या नियोजन के वर्ग में, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, लगा कोई व्यक्ति, जो—

(क) ऐसे नियोजन के दौरान उसे दिए गए विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा करता है; या —

(ख) युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसे नियोजन को छोड़ देता है या कार्य से अनुपस्थित रहता है; या

(ग) धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र से, आदेश करने वाले प्राधिकारी की सम्मति के बिना बाहर चला जाता है;

और ऐसे किसी नियोजन या नियोजन के वर्ग में, जिसे धारा 3 के अधीन ऐसा नियोजन घोषित किया गया है जिसे यह अधिनियम लागू होता है, लगे किसी व्यक्ति का कोई नियोजक, जो युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना,

(i) ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर देता है; या

(ii) ऐसा स्थापन बन्द करके, जिसमें ऐसा व्यक्ति लगा है, उसके नियोजन को समाप्त कर देता है ;

इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

स्पष्टीकरण :—1. यह तथ्य कि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसके नियोजन में बने रहने से उसे भारी शारीरिक खतरा हो सकता है, खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत युक्तियुक्त प्रतिहेतु नहीं है ।

स्पष्टीकरण :—2. कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अर्थों में अपना नियोजन परित्यक्त करता है, इस बात के होते हुए भी कि उसके नियोजन की संविदा का यह अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धन है कि वह अपने नियोजक को अपना नियोजन समाप्त करने के आशय का नोटिस देकर अपना नियोजन समाप्त कर सकेगा, अपने नियोजक की पूर्व सम्मति के बिना अपना नियोजन इस प्रकार समाप्त कर देता है ।

मजदूरी का विनियमन और सेवा शर्तें ।

6. (1) राज्य सरकार ऐसे किसी नियोजन में, जिसे धारा 3 के अधीन ऐसा नियोजन या नियोजन का वर्ग घोषित किया गया है जिसे यह अधिनियम लागू होता है, लगे व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग की मजदूरी या सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले या उनका विनियमन करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सशक्त करने वाले नियम बना सकेगी ।

(2) जब ऐसे कोई नियम बना दिए गए हों या जब मजदूरी या सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कोई निदेश, ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा जो ऐसे नियमों द्वारा ऐसे निदेश देने के लिए सशक्त है, दिए गए हों, उन निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

शास्तियां और प्रक्रिया ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया कोई व्यक्ति, सक्षम दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति कम्पनी या अन्य निगमित निकाय है, वहां उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी, जब तक कि वह यह सिद्ध नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी

के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी, अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड का भागी होगा।

(3) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा। 1898 का 5

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 260 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संक्षिप्त विचारण के लिए तत्समय सशक्त कोई मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट पीठ, यदि अभियोजन द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर ऐसा मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट पीठ उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण उक्त संहिता की धारा 262 से 265 तक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार कर सकेगा। 1898 का 5

8. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। विधिक कार्यवाहियों का वर्जन।

9. इस अधिनियम के अधीन की गई कोई घोषणा या आदेश, बनाया गया कोई नियम या विनियम और दिया गया कोई निदेश इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए आदेशों, नियमों आदि का प्रभाव।

1966 का 5

10. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित किए गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब इमैंशियल सर्विसेज (मेंटेनेन्स) ऐक्ट, 1947 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है: निरसन और व्यावृत्ति।

1947 का 13

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया गया कोई आदेश, जारी की गई अधिसूचना या निदेश, की गई कोई नियुक्ति या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, प्रवृत्त बनी रहेगी और इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन वैसे ही किया गया, जारी की गई या की गई समझी जाएगी मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

सं० डी० एल० आर०-अनुवाद अधिप्रमाणन/12/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी (डियूटी) ऐक्ट, 1975 के अधिप्रमाणित हिन्दी रूपांतर को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित करते है और यह उक्त अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975

(1975 का अधिनियम संख्यांक 11)

(31 दिसम्बर, 1984 को यथा विद्यमान)

(15 मई, 1975)

हिमाचल प्रदेश में विद्युत ऊर्जा के विक्रय या उपभोग पर शुल्क उद्गृहीत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1948 का 54

(क) "बोर्ड" के विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अध्याय 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "उपभोक्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति या स्थापना अभिप्रेत है जो ऊर्जा का उपयोग या उपभोग करता है और इसके अन्तर्गत है :—

(1) कोई घरेलू उपभोक्ता, अर्थात् ऐसे परिसर का, जिसका निवास के प्रयोजन के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, और जिसे 10 किलोवाट तक ऊर्जा का प्रदाय किया जाता है, अधिभोगी कोई व्यक्ति या संस्था और इसके अन्तर्गत अनाथालय, अस्पताल, कुष्ठ-गृह आदि जैसी पूर्त संस्थाएं होंगी, जिन्हें ऊर्जा के प्रदाय की कोई सीमा नहीं है,

(2) कोई वाणिज्यिक-उपभोक्ता अर्थात् व्यापार-गृह, क्लब, कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, होटल, मार्ग-प्रकाशन और पूजा-स्थल आदि जैसे अनिवासी परिसर जिनमें प्रकाश, प्रशीतक, तापक, पंखों आदि और आंशिक अश्वशक्ति मोटर के लिए उपयोग किया जाता है, परन्तु यह तब जब कि उपयोग किए जाने वाले उपकरण या उपस्कर का भार 3 किलोवाट से अधिक न हो,

(3) कृषि उपभोक्ता अर्थात् कृषि, उद्यान-कृषि और उससे सहबद्ध और उसके हितसाधक व्यवसायों के लिए ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था,

(4) औद्योगिक उपभोक्ता अर्थात् औद्योगिक प्रयोजनों या उद्योग के हित-साधक प्रयोजनों के लिए ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था, और

(5) स्वयं अपने उपभोग के लिए ऊर्जा का जनन करने वाला व्यक्ति/व्यक्तिगण, परन्तु यह तब जब कि जनन की क्षमता 5 किलोवाट या उससे अधिक हो ;

(ग) "ऊर्जा" से विद्युत् ऊर्जा अभिप्रेत है ;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) "यूनिट" से ऊर्जा के सम्बन्ध में किलोवाट-घंटा अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है; और

(छ) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं । 1910 का 9

बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं या अनुज्ञप्ति-धारियों को प्रदाय की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क।

3. (1) बोर्ड द्वारा उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) को प्रदत्त की गई ऊर्जा पर "विद्युत शुल्क" कहा जाने वाला शुल्क विहित रीति में उदगृहीत और सरकार को संदत्त किया जाएगा और निम्नलिखित दरों पर परिकलित किया जाएगा :—

(i) घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की दशा में प्रथम पन्द्रह यूनिट के लिए एक पैसा प्रति यूनिट की दर से और पन्द्रह यूनिट से अधिक दो पैसे प्रति यूनिट की दर से;

(ii) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की दशा में दो पैसे प्रति यूनिट की फ्लैट दर से;

(iii) औद्योगिक उपभोक्ताओं की दशा में चार पैसे प्रति यूनिट की समान दर से; और

(iv) ऐसे किसी अन्य उपभोक्ता की दशा में, जो उपर्युक्त में नहीं आते हैं चार पैसे प्रति यूनिट की समान दर से:

परन्तु यदि ऊर्जा आंशिक रूप से उपर्युक्त प्रवर्ग (i) और आंशिक रूप से प्रवर्ग (ii), (iii) और (iv) के लिए उपयोग की जाती है, तो शुल्क की उच्चतम लागू दर उद्गृहीत की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात ऊर्जा के ऐसे उपभोग या विक्रय को लागू नहीं होगी, जो—

(i) राज्य सरकार द्वारा उपभोग की जाती है, या

(ii) भारत सरकार द्वारा उपभोग की जाती है या उस सरकार को उपभोग के लिए विक्रीत की जाती है; या

(iii) भारत सरकार द्वारा किसी रेल को परिचालित करने वाली किसी रेल कम्पनी द्वारा किसी रेल के संनिर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन के लिए उपभोग की जाती है या उसे विक्रीत की जाती है; या

(iv) बोर्ड द्वारा जनन स्टेशनों, उप-स्टेशनों, ऊर्जा के जनन, पारेषण और वितरण से सीधे सम्बन्धित संकर्मों के लिए उपभोग की जाती है।

(3) इस धारा के अधीन विद्युत शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम मीटर-पठन की तारीख के पश्चात् आरम्भ होने वाले मीटर द्वारा दर्शित उपभोग को हिसाब में लिया जाएगा।

विद्युत शुल्क का संग्रहण और संदाय।

4. विद्युत शुल्क, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो अपने उपभोग के लिए ऊर्जा का जनन करता है, संगृहीत और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

अभिलेख और विवरणी।

5. (1) यदि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश दे, तो बोर्ड या अपने उपभोग के लिए ऊर्जा का जनन करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे अभिलेख ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगा जो विहित की जाए जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित किए जाएंगे—

(क) उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) को प्रदाय के लिए या अपने उपभोग के लिए जनन की गई ऊर्जा के यूनिट,

(ख) उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) को प्रदत्त की गई या उसके द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के यूनिट,

(ग) उस पर देय शुल्क की रकम और इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या वसूल किया गया शुल्क; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) बोर्ड या अपने उपभोग के लिए ऊर्जा का जनन करने वाला कोई व्यक्ति, जिसे उप-धारा (1) के अधीन अभिलेख रखने के लिए निदेश दिया गया है, ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए ऊर्जा की मात्रा ऐसी रीति से अभिनिश्चित की जाएगी जैसी विहित की जाए।

निरीक्षण अधिकारी।

6. (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख के निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) निरीक्षण अधिकारी इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी विहित की जाएं।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

कतिपय मामलों में शास्तिक शुल्क का संदाय किया जाना।

7. (1) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में, यथास्थिति, बोर्ड या अपने उपभोग के लिए ऊर्जा का जनन करने वाला कोई व्यक्ति शुल्क के संदाय का अपवंचन करता है या अपवंचन करने का प्रयास करता है चाहे वह ऐसा मिथ्या अभिलेखा रख कर, मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करके, प्रदत्त की गई ऊर्जा को छिपा कर या किसी अन्य रीति से करता है, तो बोर्ड या ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क के अतिरिक्त शास्ति के रूप में शुल्क की राशि के चार गुना से अनधिक ऐसी रकम का संदाय करेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई बोर्ड या ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस देने पर, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अपील में पारित कोई आदेश अन्तिम और आबद्धकर होगा ।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति के संदाय के लिए दिया गया आदेश इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले किसी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

शुल्क की वसूली ।

8. इस अधिनियम के अधीन कोई शुल्क या धारा 7 के अधीन अधिरोपित शास्ति जो चाहे वह किसी उपभोक्ता द्वारा बोर्ड को या बोर्ड या अपने उपभोग के लिए ऊर्जा का जनन करने वाले व्यक्ति द्वारा, राज्य सरकार को असंदत्त रहती है, भू राजस्व के बकाया की रूप में या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड या ऐसे व्यक्ति को संदेय रकम में से कटौती द्वारा वसूल की जाएगी ।

शुल्क का संदाय न करने के लिए प्रदाय को काटने की शक्ति ।

9. जहां कोई उपभोक्ता धारा 4 के अधीन उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) से शुल्क का संग्रह करने के लिए प्राधिकृत बोर्ड को विद्युत् शुल्क का संदाय करने में असफल रहता है, वहां बोर्ड अपने द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा से संबंधित किसी प्रभार या देय धनराशि की वसूली के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग कर सकेगा । 1910 का

शास्तियां

10. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) जिससे धारा 5 के अधीन अभिलेख रखने या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, उन्हें विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा जो मिथ्या है, या

(ख) धारा 6 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षण अधिकारी को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यपालन में सायास बाधा पहुंचाएगा, या

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, तो वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दायी होगा ।

विद्युत शुल्क की दरों का पुनरीक्षण करने की शक्ति ।

11. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) से संबंधित विद्युत शुल्क की दरों का, जैसी कि धारा 3 के अधीन दी गई है, पुनरीक्षण कर सकेगी ; किन्तु ऐसी पुनरीक्षित दरें धारा 3 में वर्णित दरों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

12. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे:—

(क) धारा 3 के अधीन शुल्क का संदाय करने की रीति,

(ख) बोर्ड या अपने उपभोग के लिए ऊर्जा का जनन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)

द्वारा विद्युत शुल्क के संग्रहण और राज्य सरकार को संदाय करने की रीति,

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत शुल्क के संदाय का समय और रीति,

(घ) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य, और

(ङ) कोई अन्य विषय जिस के लिए राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है या यह निर्णय लेती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावन होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1958 का 10
1966 का 31

13. पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958 का, जैसा कि वह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में लागू है, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है: निरसन और व्यावृत्ति।

परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत इस प्रकार निरसित इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या कार्रवाई या बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना जहां तक की वह इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत है, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैसे ही की गई, बनाए गए या जारी की गई समझी जाएगी, मानों कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जिसको कि ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी, नियम बनाए गए थे या अधिसूचना जारी की गई थी।

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।